

पंचायत. गाजियबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

दिनांक : 28-10-13

मान. चित्र सं. 1/17/07/जीन-1/13-14

मै. विमोद ठेगव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व मै. मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपर्स प्रा. लि.

ड्राफ्ट मैनेजर श्री योगेन्द्र सिंह,

एन-051, हूल ब्लॉक, शिवपुर,

दिल्ली-110092

आपका प्राथमिक पत्र दिनांक 17.04.13 को सदर्स में आगके प्रस्तावित भूप हाउसिंग मानचित्र खसरा सं. 1119 व 1120 मूलतः गाजियबाद पर उपप्राध्या महोदय द्वारा दिनांक 03.10.13 को निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पंच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र को इस स्वीकृत सम्बंधित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किराया के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई ध्येय भौगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व छिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुलें।
7. निजाली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सार्वजनिक लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी निकासी का पूर्ण प्रबंध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखा होगा ताकि गाँव के पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य एवं मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उनकी ही होगी।
10. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विद्यास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकृत नहीं है।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पंच द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 27.05.13 व 23.10.13 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण को दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 फुट लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के बाद के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने पर मानचित्र प्रक. करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
16. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले सार्वजनिक प्रकृति के भवनों में सफ़्ट टॉप ऐन वाटर हार्डस्टिंग व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बंधित मदों में निवमनुभूत भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. संरचना सुरक्षा वन उत्तारवायित स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. भवन में उपवेश से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र से पूर्व ऐन वाटर हार्डस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
20. निर्धारित 24.0 मी. महायोजना गाय में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य कि जायेगा। बाउण्डरी वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
21. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जल सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
22. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा व तत्पश्चात् एन नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि धिनिष्ठ कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23. उच्च क्षेत्र में 75 प्रतिशत हाइड्रॉ विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
24. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
25. अतिरिक्त शर्त स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न है एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरया है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

पृष्ठ सं. 21 | एनपी/निय-1/13-14

पञ्चायत विकास प्राधिकरण गाजियबाद शक्ति युग्मक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक 28-10-13

मुख्य वास्तुवि एवं नगर नियोजक
एन.पी. गा. विकास प्राधिकरण

हस्ताक्षर